न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या :- 66 / 2024

पुकिर्ती वैष्णव पिता धन्नादास जी बैरागी (वैष्णव) निवासी बिछोर तह0 बेगूं
प्रार्थीया

बनाम

धन्नादास पिता नाथूदास जी जाति बैरागी निवासी बिछोर तह0 बेगूं
विपक्षी

उपस्थित :- श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक :-17.04.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थीया द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 रा.टी.एक्ट का न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिसके इतने ठोस व सत्य तथ्यो पर आधारित हो कर अवश्यक ही प्रार्थी के पक्ष में डिक्री होगा किन्तु वादपत्र के निस्तारण में लम्बा समय लगेगा तब तक के लिए विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से पेश है।

यहकि मौजा बिछोर पटवार सर्कल बिछोर तहसील बेगूं निम्न लिखित कृषि आराजी प्रार्थी के पैत्रिक स्वामित्व एवं आधिपत्य की स्थित है विपक्षी संख्या 1 से 3 के संयुक्त सह खातेदारी मे दर्ज रिकोर्ड है जिसके आराजी संख्या 1060, 1069, 1974 / 725, 497,844, 848 कुल कीता 6 रकबा 2.82 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1777 / 844, 845 कुल कीता-2 कुल रकबा 0.71 हैक्टर आराजीयात विपक्षी के अकेले के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी एवं विपक्षी की पुश्तैनी स्वामित्व की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है। जिसमे प्रार्थी का जन्म से हक अधिकार है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध है। विपक्षी अपने कुटुम्ब के परिवारक अन्य सदस्यो के बहकावे में है उन्हें कई प्रकार की गलत आदते है तथा कुटुम्ब परिवार वाले कहते है कि तेरे तो केवल एक ही लडकी ही है यदि तूने इन भूमि को तेरे नाम रख लिया तो उक्त भूमिया तेरे 100 वर्ष होने के पश्चात तेरी पुत्री के नाम चली जावेगी जिसके होने वाला पति कैसा होगा व भूमियों का फायदा तो वो उठायेगें आदि कई प्रकार की बाते कर उन्हें बहला फुसला रहे है। विपक्षी उक्त पैत्रिक स्वामित्व की भूमि को हस्तान्तरित करने पर आमादा है जिसको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से रोके जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के यहा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि प्रार्थी विपक्षी की एकमात्र पुत्री है जो अभी बाहर रहकर अध्ययन कर रही है तथा अपने खेत खलिहानो को देखने के लिए गयी तो वहॉ दिनांक 03.11.2024 को विपक्षी अपने कुटुम्ब के लोगो व अन्य 3-4 लोगो के साथ खडे खडे भूमियो की तरफ इशारा कर हमारे पैत्रिक स्वामित्व की भूमियाँ बता रहे थे प्रार्थी ने उनके जाने के पश्चात विपक्षी से इस संबंध में बात की तो विपक्षी ने कहा कि मै इन सभी भूमियो को बेच रहा हूँ। तू लडकी जात इन भूमियों को कैसे संभालेगी एवं पता नहीं तेरा पति कैसा हो वह कहीं इन भूमि को मेरे कुटुम्ब के लिए रखे या नहीं रखे इसलिए मै तेरे लिए 1 इंच भूमि भी नहीं रखूगा व सभी को किसी न किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर दूगा इस प्रकार विपक्षी प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात को अन्य किसी को रहन दान बेचान पर आमादा है जिसका की कानूनन उन्हें कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी के पैत्रिक स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है जिसमें प्रार्थीया जन्म से हक अधिकार निहित है जो वर्तमान विपक्षी के नाम ही दर्ज होने से विपक्षी किसी प्रकार से हस्तान्तरित करते है तो प्रार्थी को परिवार में पुत्री होने के कारन अपने हक अधिकार से वंछित हो जावेगी एवं प्रार्थीया को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान मे पेश है।

अतः न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि मौजा बिछोर पटवार हल्का बिछोर तहसील बेगूं की वर्तमान आराजी संख्या 1060, 1069, 1974 / 725, 497, 844, 848 कुल कीता 6 रकबा 2.82

एवं आराजी संख्या 1777/844, 845 कुल कीता–2 कुल रकबा 0.71 हैक्टर भूमि को विपक्षी ...ी प्रकार से अन्य सिकी को रहन दान विक्रय आदि से हस्तान्तरित न करे एवं दौराने वाद ...ार्थीया के हक हिस्से की भूमि में किसी दखलंदाजी न तो स्वयं करें एवं न ही अपने किसी नौकर ऐजेन्ट आदि से करावें जिस हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज किया गया तथा इस प्रार्थना पत्र एक तरफ बहस अधिवक्ता प्रार्थीया की सुनी जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2024 तक के लिए निम्न आदेश जारी किया गया " अतः विपक्षीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 17.12.2024 तक पाबन्द किया जाता है कि आप मौजा बिछोर पटवार हल्का बिछोर तहसील बेगूँ की वर्तमान आराजी संख्या 1060, 1069, 1974/725, 497, 844, 848 कुल कीता 6 रकबा 2.82 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1777/844, 845 कुल कीता–2 कुल रकबा 0.71 हैक्टर भमि को विपक्षी सिकी प्रकार से अन्य किसी को रहन दान विक्रय आदि से हस्तान्तरित न करे एवं दौराने वाद प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि में सिकी दखलंदाजी न तो स्वयं करें एवं न ही अपने किसी नौकर ऐजेन्ट आदि से करावें"

विपक्षी की ओर से मूल वाद पत्रावली में अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा द्वारा अपना अधिकार प्रस्तुत किया तथाइ इस प्रर्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त शीर्षक के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया है वह कानूनन ही चलने योगय नहीं है तथा वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी का वाद पत्र व प्रार्थना पत्र निश्चित ही खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 प्रार्थीया ने गलत लिखी है , अस्वीकार है। चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया कीर्ति वैष्णव का किसी प्रकार का हक व हिस्सा निहित ही नहीं है, क्यो कि वाद वर्णित खाता संख्या 500 में अंकित 1060, 1069, 1974/725, 497, 844, 848 कुल कीता 6 रकबा 2.82 हैक्टर भूमि में विपक्षी धन्नादास का 1/2 हिस्सा, लेकिन मौके पर भूमि विभाजित की गई होकर विपख्क्षी का अपने हिस्से पर स्वतंत्र कब्जा 1/2 हिस्सा भूमि पर है। तथा खाता संख्या 228 में अंकित खसरा संख्या 1777/844, 845 कुल कीता–2 कुल रकबा 0.71 हैक्टर भूमि पर विपक्षी धन्नादास का स्वतंत्र खाता होकर यह भूमि विपक्षी धन्नादास जी की कयशुदा भूमि है। चूंकि विपक्षी संख्या 01 धन्नादास जी व इनकी पत्नी के कोई संता नही उत्पन्न नहीं हुई है यह निःसंतान है। इसलिए यह वाद वर्णित भूमि विपक्षी की ही निजी एवं स्वामित्व की सम्पत्ति है, इसमें किसी का कोई हक निहित नहीं हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे प्रार्थीया ने मिथ्या एवं गलत लिखी है अस्वीकार है। प्रार्थीया विपक्षी से कोई सम्बन्ध ही नहीं है इसलिए प्रार्थीया व विपक्षी का संयुक्त हिन्दू परिवार होन का कथन ही गलत है। पारिवारिक सजरा निम्न अनुसार है:–

नाथूदास मृत

रामचन्द्र दास मृत — धन्नादास प्रति.1

बजरंगदास — रामेश्वरदास उर्फ रमेश

किशन — विकास — कीर्ति(वादीया) — हेमलता

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 प्रार्थीया ने गलत लिखी है, अस्वीकार है। प्रार्थीया विपक्षी धन्नादास की पुत्री नहीं है। प्रार्थीया के पिता का नाम रामेश्वरदास उर्फ रमेश है, धन्नादास के कोई संतान उत्पन्न ही नहीं हुई है वह निःसंतान है। इस तथ्य को सम्पूर्ण बिछोर गांव के व्यक्ति एवं सभी रिश्तेदार जानते है। ग्राम पंचायत के सरपंच साहब वार्ड पार्षद साहब ने भी लिख कर इस विषय का प्रमाण पत्र दिया है कि कीर्ति प्रार्थया रामेश्वरदास उर्फ रमेश की पुत्री है। इसलिए वाद वर्णित भूमि जो विपक्षी धन्नादास की है जिसमे प्रार्थीया का कोई हक व अधिकार नहीं है। विपक्षी धन्नादास की उम्र वर्तमान में 82 वर्ष है प्रार्थीया का यह कथन गलत है कि विपक्षी की आदते बुरी है, विपक्षी धन्नादास की कोई बुरी आदत नहीं है यह ग्राम बिछोर में कुमावतो के मंदिर का का पुजारी रहा है। प्रार्थीया एवं इसका पिता रामेश्वरदास उर्फ रमेश बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा दोनो ने आपराधिक षडयंत्र करके स्कूल में तथा आधार कार्ड आदि में प्रार्थीया के पिता के नाम रामेवरदास के बजाय जालसाजी करके विपक्षी का नाम धन्नादास लिखवा दिया है ताकि विपक्षी की

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

। हडप सके, जबकि प्रार्थीया कभी भी विपक्षी के साथ रही ही नहीं है कभी सेवा चाकारी भी । है तथा प्रार्थीया विपक्षी से कभी मिलने भी नहीं आती है। सभी दस्तावेज जो प्रार्थना पत्र के प्रार्थीया ने पेश किये है वह सभी फर्जी दस्तावेज है। प्रार्थीया के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृया प्रकरण नहीं हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 की पुत्री ही नहीं है तथा प्रार्थीया ने समस्त तथ्य भी गलत लिखे है। प्रार्थीया विपक्षी धन्नादास की पुत्री नहीं है प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि विपक्षी की होकर इस पर कब्जा भी विपक्षी का ही है इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 गलत लिखी गई है जो अस्वीकार है। प्रार्थीया विपखी की पुत्री नहीं है विपक्षी की भूमि पर प्रार्थीया का कोई हक अधिकार नहीं होने से प्रार्थीया को किसी किस्म का कोई नुकसान अथवा कानूनी क्षति नहीं हो रही है। इसलिए विपक्षी को किसी भी प्रकार से पाबन्द करने का कोई हक व अधिकार प्रार्थीया को नहीं है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 6, 7, 8 प्रार्थीया ने गलत लिखी है, अस्वीकार है। चूंकि प्रार्थी विपक्षी की पुत्री ही नहीं है, इसलिए विपक्षी की भूमि में प्रार्थीया को विभाजन का एवं घोषणा का अनुतोष मांगने का ही अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र राजस्व न्यायालय में चलने योग्य ही नंही है। प्रार्थीया के पक्ष में किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न ही नहीं हो रहा है क्यो कि प्रार्थीया विपक्षी की पुत्री ही नहीं है। यह कि माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि श्रीमान भूमिधारी जी से ग्राम बिछोर का पर्चामौका तैयार कराकर मंगवाया जावे ताकि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया एवं उसके पिता रामेश्वरदास की वास्तविकता एवं सत्य स्थिति आ सके।

जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन में निवेदन किया है कि प्रार्थी ने विपक्षी के विरूद्ध झूंठे एवं असत्य दस्तावेज तैयार कराकर झूंठा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया जबरन असत्य व फर्जी दस्तावेजो के आधार पर विपक्षी की सम्पत्तियां हडपना चाहती है जो कानूनन गलत है। यह कि ग्राम पंचायत बिछोर द्वारा भी यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि प्रार्थीया कीर्ति रामेश्वरदास उर्फ रमेश की पुत्री है। प्रार्थीया से विपक्षी का कोई लेना देना नहीं है।

यह कि उक्त प्रकरण में वैज्ञानिक विशेषज्ञ के प्रमाण की आवश्यकता है तथा माननीय न्यायालय की यह अधिकार प्रापत है कि जब नातेदारी एवं कुटुम्ब की व्यक्ति या पैतृकता के बारे मे राय बनानी हो तब वैज्ञानिक विशेषज्ञ से राय प्राप्त कर सकते है। विपक्षी अपना डी.एन.ए ब्लड सेम्पल लिये जाकर पैतृकता की जांच की जावे तथा प्रार्थीया के पिता रामेश्वर उर्फ रमेश का भी ब्लड सेम्पल लिया जाकर पैतृकता की जॉच कराई जावे ताकि न्यायालय के समक्ष प्रकरण की वास्तविकता एव सत्यता आ सकें।

यह कि प्रार्थी ने चूंकि षडयंत्र पूर्वक झूंठा असत्य फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर न्यायलाय के समक्ष झूंठा वाद पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थीया एवं इसके पिता के विरूद्ध न्यायलाय आकर झूंठा वाद पत्र पेश करने व झूंठा शपथ पत्र पेश करने के अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जावें, तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मय हर्जाने के साथ खारिज फरमाया जावें।

अतः माननीय न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे एवं प्रार्थीया ने विपक्षी को नाजायज परेशान करने की दृष्टि से यह झूंठा गलत व विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए विपक्षी को प्रार्थीया से विशेष हर्जाना दिलाये जाने का भी आदेश प्रदान कराया जावें।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र अ.धा. 212 आर.टी.एक्ट पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अनुसार निवेदन करते हुए कहा कि राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया है, प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात पैत्रिक सम्पत्ति है तथा प्रार्थीया विपक्षी की पुत्री है जिसके प्रमाण हेतु आधार कार्ड राशनकार्ड में पेश किये है तथा धन्नालाल/फोरीबाई उनके माता पिता है। नवोदय विद्यालय के आवेदन पत्र में कीर्ति के पिता का नाम धन्नालाल लिखा है। तथा अंकतालिकाओं में भी प्रार्थीया के पिता का नाम धन्नालाल अंकित है। विपक्षी को वर्णित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द किये जाने से रोका जावें तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

बहस में अधिवक्ता विपक्षी ने निवेदन किया कि प्रार्थीया विपक्षी की पुत्री न होकर उनकी पोती है जो रामेश्वरदास उर्फ रमेश जी की पुत्री है। प्रार्थीया ने गलत वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया के पिता ने प्रारम्भ से कीर्ति के पिता के नाम पर विपक्षी का नाम लिखाते हुए दस्तावेज बना दिये जो कि विपक्षी की भूमि को हडपना चाहते है। कीर्ति पर सारा खर्चा रामेश्वरदास उर्फ रमेश ही कर रहे है इसकी जॉच भूमिधारी जी तहसीलदार से करवाई जावें। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(सहायक अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

उभयपक्ष को सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन द्वारा किया गया जिसका उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दु अंकित है जिन पर निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है।

1- प्रथम दृष्टया मामला :-

प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजी मौजा बिठोर पटवार हल्का बिठोर की आराजी संख्या 1060, 1069, 1974/725, 497, 844, 848 कुल कीता 6 रकबा 2.82 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1777/844, 845 कुल कीता-2 कुल रकबा 0.71 हैक्टर भूमि के लिए प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी संवत 2078 में दर्ज आराजी संख्या 1060, 1069, 1974/725, 497, 844, 848 कुल कीता 6 रकबा 2.82 हैक्टर भूमि के खातेदार कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/4, धन्नादास पुत्र नाथू दास हिस्सा 1/2, रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/4 दर्ज अंकित है यह भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका विभाजन अभी नहीं हुआ है, नियमानुसार सहखातेदारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाना नियम विरूद्ध है क्यों कि जब तक यह ज्ञात ही नहीं हो कि कौन कौन से खसरा नम्बर की भूमि किस किस के खाते दर्ज होगी ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार नकल जमाबंदी मौजा बिठोर की सम्वत 2078 का अवलोकन किया जिसमें दर्ज आराजी संख्या 1777/844, 845 कुल कीता-2 कुल रकबा 0.71 हैक्टर भूमि के खातेदार धन्नादास पुत्र नाथूदास हिस्सा पूर्ण जाति बैरागी के नाम पर दर्ज है। यानि यह भूमि विपक्षी के नाम पर दर्ज है तथा विपक्षी ने इस भूमि को स्वअर्जित होना बताया है, साथ ही जब प्रार्थीया विपक्षी धन्नालाल की पुत्री नहीं होना स्वयं विपक्षी ने स्वीकार करते हुए अपने जवाब में यह बताया कि प्रार्थीया का नाम दस्तावेज में उनके प्राकृतिक पिता रामेश्वरदास द्वारा लिखा दिया गया है क्यों कि वे विपक्षी की जमीन को हड़पना चाहते है इसके सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज यथा जन्मप्रमाण पत्र , लिखित गोदनामा, आदि प्रस्तुत कर यह सिद्ध नहीं कराया है कि प्रार्थीया विपक्षी की पुत्री ही है तथा वर्णित भूमि में प्रार्थीया का नोश्नल शेयर होता है? इस प्रकार प्रार्थीया दस्तावेज में उनके पिता का नाम धन्नालाल लिखा होने से वह विपक्षी की पुत्री है इस तथ्य को विपक्षी स्वयं नकारते है, तथा दस्तावेज के अभाव में प्रार्थीया इन भूमि के लिए विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने की अधिकारी नहीं पाई जाती है। हमारे द्वारा सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन भी कर लिया गया है जिनसे प्रार्थीया विपक्षी धन्नालाल की पुत्री हो यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

2- सुविधा का सन्तुलन :-

प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि मौजा बिठोर पटवार हल्का बिठोर की 1060, 1069, 1974/725, 497, 844, 848 कुल कीता 6 रकबा 2.82 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1777/844, 845 कुल कीता-2 कुल रकबा 0.71 हैक्टर भूमि के खातेदार विपक्षी दर्ज अंकित है तथा प्रार्थीया विपक्षी धन्नालाल की जायन्दा पुत्री होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी है साथ ही विपक्षी धन्नालाल ने भी अपने जवाब में उन्हें अपनी पुत्री नहीं बताते हुए उनके प्राकृति पिता रामेश्वरदास की पुत्री यानि विपक्षी की पोती होना बताया है। साथ ही वर्णित कृषि भूमि में दर्ज हक हिस्से में विपक्षी का ही कब्जा होकर काश्त कर रहे है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

3-अपूर्तनीय क्षति :-

जब प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि के खातेदार विपक्षी धन्नालाल है तथा प्रार्थीया को धन्नालाल ने उनकी पुत्री न होकर उनके भतीजे रामेश्वरदास की पुत्री होना अपने जवाब में अंकित किया है तथा प्रार्थीया विपक्षी की पोती होना बताया है तथा वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया का कोई हक अधिकार नहीं होना विपक्षी द्वारा बताया है साथ ही जब कब्जा काश्त भी प्रार्थीया का भूमि पर नहीं है तथा ना ही कोई नोश्नल अधिकार है तो प्रार्थीया को किसी प्रकार से आर्थिक क्षति नहीं होता पाया जाता है। इस प्रकार यह विन्दु भी प्रार्थीया के विरुद्ध निर्णित किया जाता हैं।

प्रार्थना पत्र निस्तारण के मुख्य तीनों बिन्दुओं का निस्तारण दस्तावेजी सबूत से प्रार्थीया विरुद्ध निर्णित हुआ है। प्रार्थीया ने अपने आप को विपक्षी की पुत्री होना बताते हुए तथा वर्णित भूमि पैत्रिक होने से उक्त भूमि में प्रार्थीया का हक हिस्सा होना बताते हुए विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कराने का निवेदन किया है जो कि प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत सभी दस्तोवज से सिद्ध नहीं होता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एतद द्वारा सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.04.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
(सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं